# प्रभावशालियों की कार जब्त करने व धाराएं लगाने से परहेज क्यों : हाई कोर्ट

## एनएच जाम कर रील बनाने वाले युवाओं पर जुर्माने को बताया दिखावा, स्वतः लिया संज्ञान, सरकार से पूछा- पुलिस ने किस आधार पर की कार्रवाई

**कोर्ट का शिकंजा**

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) को जाम कर महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ रील बनाकर रसूख का प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर पुलिस द्वारा महज जुर्माना कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश को हाई कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब अन्य मामलों में पुलिस द्वारा गाड़ियां जब्त की जाती हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं की गईं। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्यों मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराएं नहीं लगाई गईं।

फाइल फोटो

### पुलिस की दिखावटी कार्रवाई पर सवाल

इस घटना के बाद कई मीडिया संस्थानों और आम जनता ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। काफी दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने केवल सात गाड़ियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कुल 14 हजार की चालानी कार्रवाई की। बाद में एक अन्य गाड़ी पर भी चालान किया गया। लेकिन ना तो हाईवे जाम करने के लिए बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, ना ही गाड़ियां जब्त की गईं और ना ही आरोपितों के नाम-पते अथवा फोटो सार्वजनिक किए गए, जैसा कि आम मामलों में किया जाता है। कई गाड़ियों के नंबर भी आधे-अधूरे लिखे हुए थे, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में केवल चालान की जानकारी दी गई थी, जिससे नाराजगी और बढ़ गई।

**नईदुनिया खबर का असर**

रील ए हाईवे : कानून को ठेंगा दिखा रहे रईसजादे

पुलिस ने सिर्फ दो-दो हजार जुर्माना लगा छोड़ा

नईदुनिया में प्रकाशित खबर।

### युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज

भाजपा विधायक के करीबी के पुत्र वेदांत शर्मा एवं उसके साथियों के खिलाफ अब सकरी पुलिस ने धारा 126(2), 285, 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया है। प्रकरण में संलिप्त वाहनों की विधिवत जब्ती कर वेदांत शर्मा एवं उसके साथियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

### हाई कोर्ट का सख्त रुख

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर इसे कोज लिस्ट में 19वें क्रम पर लंच ब्रेक से पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए पुलिस से जवाब मांगा कि, इस मामले में गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के अतिरिक्त अन्य गंभीर धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। पुलिस ने महज चालान कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली, क्या यही कानून का पालन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रसूखदार लोगों के मामलों में पुलिस द्वारा दोहरा मापदंड अपनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक यह स्पष्ट किया जाए कि पुलिस ने इस प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे किन धाराओं के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है।

### यह है पूरा मामला

यह घटना बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे 130 की है, जहां कुछ दिन पहले रायपुर रोड स्थित टोयोटा शोरूम से दो फार्च्यूनर खरीदने के बाद वेदांत शर्मा और उसके साथियों ने आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ हाईवे पर रुककर ड्रोन कैमरे और पेशेवर फोटोग्राफरों की मदद से रील शूट की। रील बनाते वक्त पूरी सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। शूटिंग पूरी होने के बाद इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रचारित किया गया, जिसमें युवाओं का घमंड और रसूख दिखाया गया। हालांकि, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ, इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया आइडी हटा दी गई।